भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2729

जिसका उत्तर 17 मार्च, 2022 को दिया जाना है।

ऊर्जा की मांग में वृद्धि

2729. श्री फिरोज़ वरूण गांधी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी सहित डिजिटल मुद्राओं की माइनिंग से उत्पन्न हुई ऊर्जा की मांग में वृद्धि का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान वर्ष में माइनिंग से बिजली की मांग बढ़ाने की उम्मीद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73(क) के अंतर्गत यथा बाध्यकारी मध्यम एवं दीर्घकालिक आधार पर देश में विद्युत की मांग का प्राक्कलन करने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष पर देश का इलेक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण (ईपीएस) कराता है।

घरेलू, वाणिज्यिक, सार्वजनिक रोशनी व्यवस्था, पब्लिक वाटर वर्क्स, सिंचाई, औद्योगिक रेलवे, थोक आपूर्ति एवं अन्य जैसी उपभोक्ता श्रेणियों के लिए विद्युत मांग प्रक्षेप किए गए हैं।

क्रिप्टो मुद्रा सहित डिजिटल मुद्रा की माइनिंग के लिए ऊर्जा की मांग को ईपीएस के अंतर्गत समग्र मांग प्रक्षेपों में पूरा किया जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि ईपीएस में प्रक्षेपित मांग से वास्तविक मांग कम होती है। इसलिए, ऐसी नई वाणिज्यिक/औद्योगिक गतिविधियों के कारण किसी भी अतिरिक्त मांग की आपूर्ति ईपीएस में दिए गए समग्र ऊर्जा प्रक्षेपों में से ही की जाएगी।

****